

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा I), केरल तिरुवनंतपुरम
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I), KERALA
THIRUVANANTHAPURAM

सं. ओई (एंट)एमडीएल/2022-23/
No. OE (Entt)/Mdl/2022-23/

दिनांक: 23.11.2022
Dated: 23.11.2022

परिपत्रसंख्या/CIRCULAR No. 61

विषय: वेतन से सीजीएचएस अंशदान की कटौती के लिए सेवा पुस्तिका में कर्मचारियों के आवासीय पते का अद्यतनीकरण

Sub: Updation of residential address of the employees in service book for deduction of CGHS contribution from salary

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.एस-6252/2003-2004-आरएंडएच/सीजीएचएस/सीजीएचएस(पी) दिनांक 15.06.2004मेंसेवारत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मा सक सीजीएचएस अंशदान की कटौती पर सीजीएचएस कार्ड जारी करने के संबंध में यह बताता है क, सीजीएचएस का लाभ उस तारीख से देय होता है, जिस दिन केंद्र सरकार का कर्मचारी सीजीएचएस कार्ड के लए आवेदन करता है।इसके अलावा, सीजीएचएस उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लए एक अनिवार्य योजना है, जिनके पास उनका निवास स्थान है, जैसा क सीजीएचएस डस्पेंसरी (अर्थात, जिनका निवास सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से 5 कमी के दायरे में है) द्वारा कवर कए गए क्षेत्र में सर्वस बुक में दर्ज है।सीजीएचएस में शा मल होने के लए पात्रता को सत्या पत करने के लए, सभी कर्मचारियों के आवासीय पते को उनकी सेवा पुस्तकों में अद्यतन करने की आवश्यकता है ता क बिल अनुभाग नीचे दिखाए गए कर्मचारियों के वेतन के आधार पर सीजीएचएस में मा सक योगदान काट सके।

क्रम संख्या	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में तत्समान लेवल	सीजीएचएस योगदान (रुपये प्रति माह)
1.	लेवल:1 से 5	250
2.	लेवल: 6	450
3.	लेवल:7 से 11	650
4.	लेवल: 12 एवं ऊपर	1000

सीजीएचएस कवर क्षेत्रों के बाहर रहने वाले सेवारत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीएस (एमए) नियमों के तहत कवर किया जाएगा और जो लोग शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर रहते हैं, उन्हें सीएस (एमए) नियमों के बजाय निकटतम सीजीएचएस वेल्नेस सेंटर से सीजीएचएस चुनने का एकमुश्त विकल्प दिया जाएगा।

कर्मचारी चिकित्सा उपचार (स्वयं के लिए) के संबंध में किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा तभी कर सकते हैं जब उपचार उनके मुख्यालय के स्थान से प्राप्त किया गया हो। मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान से प्राप्त उपचार के एवज में खर्च की प्रतिपूर्ति तभी स्वीकार्य है जब सक्षम प्राधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की पूर्व अनुमति प्राप्त हो।

एतद्वारा सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पात्रता के सत्यापन और जनवरी 2023 के बाद से वेतन से लागू होने वाली सदस्यता की कटौती के सत्यापन के लिए 20.12.2022 को या उससे पहले परिपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक I में अपना ववरण प्रस्तुत करें। निर्धारित तिथि के भीतर ववरण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले कर्मचारियों के मामले में, सेवा पुस्तिका में दर्ज पते के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सीजीएचएस कवर क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को स्वयं और परिवार के पात्र सदस्यों के लिए सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए (सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अनुबंध II में वस्तुतः है)। इसके अलावा, कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे सीजीएचएस के लिए उनकी पात्रता पर विचार करने के लिए स्थानांतरण के परिणामस्वरूप निवास और मुख्यालय के परिवर्तन की सूचना दें।

Ministry of Health & Family Welfare OM F.No.S-6252/2003-2004-R&H/CGHS/CGHS(P) dated 15.06.2004 regarding issuance of CGHS card to the serving Central Govt. Employees upon deduction of monthly CGHS contribution inter alia states that, the benefits of CGHS accrue from the date on which the Central Govt. Servant applies for a CGHS card. Further, CGHS is a compulsory scheme for all Central Govt. Employees having their place of residence, as recorded in the service book in an area covered by a CGHS Dispensary (i.e., whose residence is within 5km radius from the CGHS Wellness Centre). In order to verify the eligibility for joining CGHS, the residential address of all the employees need to be updated in their service books so that the Bills Section can deduct the monthly contribution towards CGHS based on the pay of the employees as shown below:

Sl.No	Corresponding levels in the Pay Matrix as per 7th CPC	CGHS Contribution (Rs. Per month)
1	Level: 1 to 5	250
2	Level: 6	450
3	Level: 7 to 11	650
3	Level: 12 & above	1000

The serving central government employees residing outside the CGHS covered areas shall be covered under CS (MA) Rules and those who are residing within the municipal limits of the city shall be given a onetime choice to opt for CGHS from the nearest CGHS Wellness Centre instead of CS (MA) Rules.

Employees can claim reimbursement of expenses incurred in connection with medical treatment (for self) only if the treatment is obtained from the place of their headquarters. Reimbursement of expenses in lieu of treatment obtained from a place other than Hqrs is admissible only if prior permission to leave Hqrs is obtained from the competent authority.

All the employees are hereby requested to submit their details in the Annexure I attached with the circular to Entitlement Section on or before 20.12.2022, for verification of eligibility and deduction of subscription as applicable from the salary for the month of January 2023 onwards. In the case of employees who fail to furnish the details within the stipulated date, appropriate action will be taken on the basis of the address recorded in the Service Book. Also, employees residing in a CGHS covered area should apply for CGHS plastic card for self and eligible family members (Procedure to apply for CGHS plastic card is detailed in Annexure II). Further, employees are also requested to intimate the change of residence and headquarters consequent on transfer for considering their eligibility for CGHS.

{ Vide orders of PAG (Audit I) dated 11.11.2022 }

ह. Sd/-

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अ धकारी (तदर्थ)हकदारी
Senior Audit Officer (Ad-hoc)/Entt

प्रति/To

1. नोटिस बोर्ड/Notice board
2. सभी अ धकारी/All Officers
3. सभी अनुभाग और फील्ड पार्टियां/All Sections and field parties
4. शाखा कार्यालय/Branch Offices
5. स्टॉक फ़ाइल Stock file

अनुलग्नक I/Annexure I

1.	कर्मचारी का नाम/Name of the employee	:	
2.	पदनाम/Designation	:	
3.	मुख्यालय/Headquarters	:	
4.	वर्तमान आवासीय पता/Present residential address	:	
	(ए) क्या आवास सीजीएचएस कवर क्षेत्र के अंतर्गत आता है	:	हाँ/नहीं
	(a) Whether the residence falls under CGHS covered area	:	Yes/No
	(बी) यदि आप शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर रहते हैं:	:	हाँ/नहीं
	लेकिन सीजीएचएस कवर क्षेत्र से बाहर हैं, तो क्या आप निकटतम सीजीएचएस वेल्नेस सेंटर से सीजीएचएस चुनने के लिए एक बार विकल्प चुनने का इरादा रखते हैं।	:	Yes/No
	(b) If residing within the municipal limits of the city but beyond the CGHS covered area, do you intend to exercise one time choice to opt for CGHS from the nearest CGHS Wellness Centre	:	Yes/No
5.	स्थायी पता/Permanent address	:	
6.	(ए) ववाहित या अ ववाहित /	:	हाँ/नहीं
	(a) Whether married or unmarried	:	Yes/No
	(बी) यदि ववाहित है, तो बताएं क क्या पति/पत्नी कार्यरत हैं	:	हाँ/नहीं
	और यदि हां, तो रोजगार का पूरा ववरण दें	:	Yes/No
	(b) If married, state whether spouse is employed and if so the full details of employment	:	Yes/No
	(सी) क्या आपका पति / पत्नी अपने संगठन में च कत्सा:	:	हाँ/नहीं
	सु वधा के लिए पात्र है	:	Yes/No
	(c) Whether your spouse is eligible for medical facility in his/her organization	:	Yes/No

(डी) यदि हां, तो क्या आप सीजीएचएस/सीएस (एमए) से बाहर निकलना चाहते हैं*	हाँ/नहीं
(d) If yes, do you want to opt out of CGHS/CS(MA) *	: Yes/No

*यदि सीजीएच/सीएस (एमए) योजना से बाहर हो गए हैं तो इस कार्यालय से च कत्सा उपचार के संबंध में कोई प्रतिपूर्ति स्वीकार्य नहीं होगी।

*If opted out of CGH/CS(MA) Scheme no reimbursement in connection with medical treatment will be admissible from this Office.

दिनांक/Date:

कर्मचारी के हस्ताक्षर/Signature of the employee

अनुलग्नक II/Annexure II

सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें How to apply for CGHS Plastic card

सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को हकदारी अनुभाग में जमा करना होगा।

In order to apply for CGHS plastic card the following documents have to be submitted to Entitlement section.

1. ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र (cghs.nic.in-apply Plastic card)- 2 प्रतियां
Online filled application form (cghs.nic.in-apply plastic card)- 2 copies
2. समूह फोटो- 3 प्रतियां (लैंडस्केप 6.5x5)
Group Photo- 3copies (landscape 6.5x5)
3. पासपोर्ट/स्टाम्प साइज फोटो -3 प्रतियां
Passport/Stamp size photo -3copies
4. अधिकारी की अंतिम वेतन पर्ची
Last pay slip of the official
5. सभी सदस्यों के आधार की प्रति (या कोई आयु प्रमाण आईडी / जन्म प्रमाण पत्र)
Copy of aadhar of all members (or any age proof id/birth certificate)
6. माता-पिता को शामिल करने के लिए-निर्भरता प्रमाण पत्र
For including parents -Dependency certificate

आश्रितों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड/Criteria for determining eligibility for dependents

(i)	पुत्र/Son	जब तक वह धन अर्जन करना शुरू नहीं कर देता या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, या शादी कर लेता है, जो भी पहले हो। Till he starts earning or attains the age of 25 years, or getting married whichever is earlier.
(ii)	पुत्री/Daughter	जब तक वह धन अर्जन करना शुरू नहीं कर देती या शादी नहीं कर लेती, चाहे उसकी उम्र सीमा कुछ भी हो, जो भी पहले हो। Till she starts earning or gets married, irrespective of the age limit, whichever is earlier.

(iii)	<p>किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता से पीड़ित पुत्र (शारीरिक या मानसिक) (विकलांगता का अर्थ है अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ-उपचारित, सुनने की दुर्बलता, चलने में अक्षमता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी। मेडिकल बोर्ड से एक विकलांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।)</p> <p>Son suffering from permanent disability of any kind (physical or mental) (Disability means blindness, low vision, leprosy-cured, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, mental illness. A disability certificate from Medical Board is required.)</p>	<p>आयु सीमा के बावजूद। हालांकि, अगर स्थाई रूप से विकलांग बेटे की शादी हो जाती है - तो उसे सीजीएचएस कवर नहीं दिया जाएगा।</p> <p>Irrespective of age limit. However, if the permanently disabled son gets married — the CGHS cover will no longer be provided to him.</p>
(iv)	<p>आश्रित तलाकशुदा / परित्यक्त या अपने पति / विधवा बेटियों से अलग और आश्रित अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त या अपने पति / विधवा बहनों से अलग</p> <p>Dependent divorced / abandoned or separated from their husband / widowed daughters and dependent unmarried / divorced / abandoned or separated from their husband / widowed sisters</p>	<p>आयु सीमा के बावजूद।</p> <p>Irrespective of age limit.</p>
(v)	<p>नाबालिग भाई/Minor brother(s)</p>	<p>वयस्क बनने की उम्र तक</p> <p>Upto the age of becoming a major.</p>

'आश्रित' शब्द का अर्थ है कि डीसीआरजी लाभ के बराबर पेंशन और पेंशन सहित सभी स्रोतों से आय 9000 रुपये + डीए प्रति माह से कम है। यह खंड सभी 'आश्रित' परिवार के सदस्यों के लिए पूरा किया जाना है।

हालांकि, निर्भरता की शर्त जीवनसाथी पर लागू नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, सीजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा लाभों के लिए पति/पत्नी स्वतः ही शामिल हो जाते हैं।

ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, दावेदार की स्थिति के अनुसार उनमें से कोई भी अपने और परिवार के पात्र सदस्यों के लिए दावा कर सकता है। दावे को कौन चुनेगा, इस बारे में एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि घोषणा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो पति की स्थिति के अनुसार पत्नी सहित सभी को रियायत का लाभ उठाना होगा। यदि पति और पत्नी दोनों सीजीएच योजना में योगदान करते हैं, तो दोनों के माता-पिता चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे यदि वे पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

यदि पति या पत्नी किसी राज्य सरकार, रक्षा/रेलवे, निगमों या निकायों में कार्यरत हैं, जो केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वित्तपोषित हैं, जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, तो चिकित्सा सुविधा का लाभ केवल एक ही स्थान पर लिया जा

सकता है, अर्थात्, एक केंद्र सरकार का कर्मचारी जिसका पति या पत्नी ऊपर वर्णित किसी भी संगठन में सेवारत है, जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है, सीजीएच योजना से बाहर निकल सकता है और उस संगठन से चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सकता है जिसमें उसका पति/पत्नी काम कर रहे हैं, बशर्ते कि इस संबंध में संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारी को सीजीएचएस कार्ड जारी करने वाले प्राधिकारी को एक वचन देना होगा।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस से बाहर निकलने का विकल्प उनके पूरे सेवाकाल के दौरान केवल दो बार उपलब्ध होगा, और इसे कर्मचारी की सर्विस बुक में एक प्रविष्टि करके दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने सीजीएचएस से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, उनके पास अभी भी सीजीएचएस का लाभ प्राप्त करने का विकल्प होगा यदि उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई थी या उन्होंने उस कार्यालय/संगठन से इस्तीफा दे दिया था/बर्खास्त कर दिया था जिसमें वह कार्यरत हैं और चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

महिला सरकारी सेवकों में या तो माता-पिताया सास-ससुर में से कोई भी शामिल हो सकता है। वे पूरी सेवा के दौरान केवल एक बार अपना विकल्प बदल सकते हैं।

The term 'dependent' means that income from all sources including pension and pension equivalent of DCRG benefit is less than Rs. 9000 +DA per month. This clause is to be fulfilled for all 'dependent' family members.

However, the condition of dependency is not applicable to the spouse. In other words, spouse is automatically included for medical benefits under CGHS.

In cases where both husband and wife, are Central Government employees either of them may prefer claim for self and eligible members of the family, according to the status of the claimant. A joint declaration as to who will prefer the claim should be furnished. If declaration is not furnished, concession is to be availed by all including wife according to the status of the husband. In case, both husband and wife contribute towards the CGH Scheme, the parents of both will be entitled to the medical facilities if they fulfil other conditions of eligibility.

If the spouse is employed in a State Government, Defence/Railways, Corporations or bodies financed partly or wholly by the Central or State Government, local bodies and private organizations which provide medical services, the medical facility can be availed at one place only i.e., a Central Government employee whose spouse is serving in any organization mentioned above, which provides medical facility to its employees and members of their family can opt out of the CGH Scheme and avail of medical facilities from the organization in which his/her spouse is working, provided that an undertaking in this regard

shall have to be given by the Central Govt. employee concerned to the authority issuing the CGHS card.

The option for Central govt servants to opt out of CGHS would be available only twice during their whole service career, and this should be recorded by making an entry in the Service Book of the employee. However, such Govt servants who have opted out of CGHS would still have the option of getting the benefit of CGHS in case their spouse had died or has resigned/dismissed from the office/organisation in which he/she is employed and is getting medical benefits.

Female govt servants can include either parents/parents in law. They can change their option only once during the entire service.

सीजीएचएस औषधालयों/स्वास्थ्यकेंद्रों की सूची/List of CGHS Dispensaries/Wellness Centres

क्रम संख्या Sl.No	स्वास्थ्यकेंद्र का नाम Name of Wellness Centre	पता Address
1	केशवदासपुरम/Kesavadasapuram	टीसी 3/120, केशवदासपुरम, तिरुवनंतपुरम TC 3/120, Kesavadasapuram, Thiruvananthapuram
2	सास्तमंगलम/Sasthamangalam	टीसी 9/1580, 'मंगल्या' अस्पताल रोड, सास्तमंगलम - तिरुवनंतपुरम -695010 TC 9/1580, 'Mangalya' Hospital Road, Sasthamangalam- Thiruvananthapuram -695010
3	वं चयूर Vanchiyoor	टीसी 25/2893, धर्मदेशम लेन, वंचियूर, तिरुवनंतपुरम 695035 TC 25/2893, DharmadeshamLane,Vanchiyoor, Thiruvananthapuram 695035
4	कोच्चि Kochi	सीजीएचएस स्वास्थ्यकेंद्र कोच्चि, गांधी नगर फायर स्टेशन के पास, कदवंतरा, एर्नाकुलम 682021 CGHS Wellness Centre Kochi, Near Gandhi Nagar Fire Station, Kadavanthara, Ernakulam682021
5	कोषिकोड Kozhikode	सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर, कल्लई, कोषिकोड, केरल 673003 CPWD Quarters, Kallai, Kozhikode, Kerala 673003
6	कन्नूर Kannur	V9CR+R8F, मेलेचोवा साउथ, कन्नूर, केरल670005 V9CR+R8F, Melechowa South, Kannur, Kerala 670005

सीजीएचएस के तहत सुविधाएं/Facilities under CGHS

सीजीएचएस के तहत उपलब्ध सुविधाओं में मुख्य रूप से शामिल हैं-

The facilities available under CGHS mainly include-

- i. सीजीएचएस औषधालय में चिकित्सा अधिकारी के साथ परामर्श।
Consultation with the Medical Officer at CGHS Dispensary.
- ii. एक्स-रे, प्रयोगशाला और अन्य नैदानिक सुविधाएं।
X-Ray, Laboratory and other diagnostic facilities.
- iii. दवाओं आदि की आपूर्ति
Supply of medicines, etc.
- iv. अस्पताल में भर्ती की सुविधा।
Hospitalization facilities.
- v. सूचीबद्ध निजी अस्पतालों/नैदानिक केंद्रों पर अधिसूचित पैकेज दरों पर उपचार/जांच के लिए प्रभारों की प्रतिपूर्ति।
Reimbursement of charges for treatment/investigation at empanelled private hospitals/diagnostic centres at notified package rates.
- vi. दिल की बीमारियों, श्रवण यंत्रों, इंद्रा-ओकुलर लेंस आदि के लिए प्रत्यारोपण की लागत की प्रतिपूर्ति।
Reimbursement of cost of implants for heart ailments, hearing aids, intra-ocular lens, etc.